प्रकरण क्रमांक एम.जे.सी.आर.–1306/2026
शिवकांत प वि0 थाना कैंट

13-08-2026 राज्य की ओर से ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

आवेदक/सुपुदर्गीदार शिवकांत श्रीवास्तव सहित श्री संतोष मोहने अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी प्रस्तुति व आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र कोतवाली जिला गुना से अपराध क्र. – 440/2026 धारा–281, 125ए, 296ए, 351(2) बी.एन.एस. की डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 503 भा. ना.सु.सं. के आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक/सुपुर्ददार का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य का वाहन टोयोटा रोमियोन सफेद रंग, जिसका पंजीयन क्रमांक एम.पी.13 ए.एच. 3947 एवं इंजन नं. के.15 सी.एन. 9994306 है, को पुलिस थाना द्वारा असत्य आधार पर जप्त कर लिया गया है। आवेदक एवं उसके वाहन का उक्त तथाकथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। उक्त वाहन आवेदक के दैनिक जीवन का एकमात्र साधन है। उक्त वाहन अधिक समय तक थाने पर जप्त रहने से उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। अतः आवेदन स्वीकार कर जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित हुआ कि आरक्षी केन्द्र के अपराध में उक्त वाहन टोयोटा रोमियोन सफेद रंग, जिसका पंजीयन क्रमांक एम.पी.13 ए.एच. 3947 एवं इंजन नं. के.15 सी.एन. 9994306 जप्त किया गया है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन से आवेदक उक्त जप्तशुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी होना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लगने की संभावना है। अधिक समय तक उक्त वाहन के जप्त रहने से उसमें यांत्रिकी खराबी आने की संभावना है।

अतः सुपुर्दनामा आवेदन पत्र स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदक/सुपुर्दगीदार द्वारा 10,00,000/– रुपये का सुपुर्दनामा निम्नलिखित शर्तों

सहित पेश करे, तो उसे जप्तशुदा वाहन सुपुर्दनामे पर दिया जावे।

शर्तेः–

1. आवेदक जप्तशुदा वाहन को अन्यत्र हस्तांतरित नहीं करेगा।

2. न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर स्वयं के व्यय पर न्यायालय में पेश करेगा।

केस डायरी वापस की जावे।

सुपुर्दनामा प्रपत्र अभियोग पत्र प्रस्तुती के समय प्रकरण के साथ संलग्न किये जावे अथवा अभिलेखागार में जमा किया जावे।

कु0 मधुलिका मुले
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–गुना (म.प्र.)

पुनश्चः–

सुपुर्दनामा आदेश के अनुपालन में आवेदक/सुपुर्ददार–शिवकांत श्रीवास्तव पुत्र बाबूलाल श्रीवास्तव, आयु– 50 वर्ष, निवासी–जगदीश कॉलोनी गुना म.प्र. ने 10,00,000/– रूपये का सुपुर्दनामा पेश किया गया। आवेदक/सुपुर्ददार की पहचान श्री संतोष मोहने अधिवक्ता द्वारा की गई बाद तस्दीक स्वीकृत।

संबंधित आरक्षी केन्द्र को रिलीज आदेश जारी कर केस डायरी वापस की जावे।

सुपुर्दनामा प्रपत्र अभियोग पत्र प्रस्तुती के समय प्रकरण के साथ संलग्न किये जावे अथवा अभिलेखागार में जमा किया जावे।

MADHULIKA MULEY
Digitally signed by MADHULIKA MULEY
Date: 2026.08.13 15:21:10 +0530

कु0 मधुलिका मुले
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–गुना (म.प्र.)